Government of Rajasthan
Forest Department

RFBDP
CONSERVE | EMPOWER | DEVELOP

In partnership with
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
AFD
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति (VFPMC) क्या है?

ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति एक लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकृत और पारदर्शी स्थानीय संस्था है, जो वन और वन क्षेत्र के आस-पास निवास करने वाले समुदायों द्वारा गठित की जाती है

सामान्यत:, एक राजस्व गांव में एक वी.एफ.पी.एम.सी. होती है । विशेष परिस्थितियों में, जैसे आस-पड़ोस के गांवों के बीच आपसी सहयोग के आधार पर एक से अधिक गाँव के लिए एक समिति का गठन संभव है

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 28, 80 व 81 के अधीन ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, समिति का पंजीयन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत कराया जाना अनिवार्य है

ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के उद्देश्य

- वन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना
- मानव एवं पशुओं के बीच विवाद को रोकने सम्बन्धी आवश्यक उपाय करना
- वनों के कटाव और वनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए योजनाओं का निर्माण करना
- वन्यजीवों की रक्षा और वन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए कार्य करना
- प्राकृतिक संसाधनों का सतत् और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना
- वन क्षेत्रों से सम्बंधित आर्थिक गतिविधियों एवं सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
- वन और पर्यावरण के महत्व के बारे में ग्रामीण समुदायों में जागरूकता फैलाना

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति (आर.वी.जे.वी.वी.एस.), पी.एम.यू., आर.एफ.बी.डी.पी.
अरावली भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर 302004, राजस्थान
0141-2709101 : rfbdp.afd@gmail.com

Government of Rajasthan
Forest Department

RFBDP
CONSERVE | EMPOWER | DEVELOP

In partnership with
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
AFD AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति एक लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकृत और पारदर्शी स्थानीय संस्था है, जो वन और वन क्षेत्र के आस-पास निवास करने वाले समुदायों द्वारा गठित की जाती है ।

ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के दायित्व

वन भूमि की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण का कार्य, क्षेत्र में चारा विकास एवं लघु वन उपज का कार्य

वन क्षेत्र तथा/अथवा वृक्षारोपण से प्राप्त होने वाली लघु वन उपज जैसे घास, पत्ते, फल, मूल, छोटी टहनियों आदि के एकत्रीकरण एवं वितरण के सम्बन्ध में नियम एवं शुल्क निर्धारण

वन/वृक्षारोपण क्षेत्र में अवैधानिक कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों को पकड़वाकर उनके विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही करने में वन विभाग को सहयोग प्रदान करना

वन विभाग द्वारा समिति को उपलब्ध कराई गयी भूमि में किसी प्रकार का कृषि कार्य, उद्योग, पक्के आवास एवं ऐसा कोई कार्य, जो वन विकास की श्रेणी में नही आता हो, करने की आज्ञा नहीं देना

समिति की आय से वृक्षारोपण करने तथा/ अथवा वन/ वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने की कार्य योजना तैयार करना

समुदाय की भागीदारी से गाँव के विकास की योजना तैयार करना

ऐसा कोई भी कार्य जो राजस्थान वन अधिनियम 1953, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं उसके अधीन बने नियमों के तहत वर्जित है, उसे करने से रोकना समिति का प्रमुख दायित्व है

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति (आर.वी.जे.वी.वी.एस.), पी.एम.यू., आर.एफ.बी.डी.पी.
अरावली भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर 302004, राजस्थान
0141-2709101 : rfbdp.afd@gmail.com